रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272477
CG-DL-E-12052026-272477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2137] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948
No. 2137] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

सं. 07/2026-27

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची ।। (निर्यात नीति) के एचएसएन 1006 के तहत निर्यात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 2224(अ). — समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 39/2025-2026 में चावल (बासमती और गैर-बासमती) के निर्यात हेतु उपशीर्षक 1006 की नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है-

2. निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोड के तहत मौजूदा प्रविष्टियों के अन्तर्गत अधिसूचित निर्यात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

आइटीसी (एच एस) कोड	विवरण	निर्यात नीतिगत शर्त
1006 2000 1006 3011 1006 3019 1006 3091 1006 3099 1006 4000	गैर-बासमती चावल	i. यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और यूरोपीय देशों नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी करने के अध्यधीन निर्यात अनुमत है। ii. इस अधिसूचना की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए अर्थात 01.10.2026 **तक** शेष यूरोपीय देशों को निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं होगा।
1006 3012 1006 3092	बासमती चावल	

अधिसूचना का प्रभाव- चावल (बासमती और गैर-बासमती) के निर्यात के लिए ईआइसी/ईआइए से निरीक्षण प्रमाणपत्र की आवश्यकता केवल यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, यूके, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड तक सीमित है। इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने तक अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात करने पर इससे छूट दी गई है।

[फा. सं. 01/91/171/35/एएम20/ईसी/ई-फाइल/ई-18655]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2026

No. 07/2026-27

Subject: Amendment in Export Policy Condition under HSN 1006 of Schedule-II(Export Policy), ITC(HS) 2022 –reg.

S.O. 2224(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, read with para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendment to the Notification No. 39/2025-2026 dated 03rd October, 2025, with immediate effect in policy condition of sub-heading 1006 for export of rice (Basmati and Non-Basmati) -

2. The Export Policy Conditions are notified under the existing entries under the following ITC(HS) Codes are amended as under : -

ITC(HS) codes	Description	Export Policy Condition
1006 2000 1006 3011 1006 3019	Non-Basmati Rice	i. Export to EU Member States and European countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted

1006 3091 1006 3099 1006 4000		subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council/Export Inspection Agency'. ii. Certificate of Inspection by Export Inspection Council/ Export Inspection Agency shall not be mandatory for export to remaining European countries with effect from the date of this notification for a period of six months i.e. **till 01.10.2026**.
1006 3012 1006 3092	Basmati Rice	

Effect of notification - The requirement for a Certificate of Inspection from EIC/EIAs for Rice (Basmati and Non-Basmati) exports is limited to EU member states, the UK, Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. Exports to other European countries are exempt from this requirement for six months from the date of this notification.

[F. No. 01/91/171/35/AM20/EC/E-File/E-18655]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade and Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.12 23:31:16 +05'30'